बिहार सरकार
समाहरणालय, सिवान
सिवान– 841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242160 (फैक्स)

आदेश

कोरोना वायरस COVID-19 से संक्रमित मरीजों/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्गनिर्देश के अनुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है, और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियो में इसके संक्रमण को अनिवार्य रूप से रोकने का निदेश दिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार **बसंतपुर प्रखण्ड के ग्राम–नगरी टोला बसॉव, पंचायत–बसॉव** में कोरोना वायरस से कुछ व्यक्ति के संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है। जांच के दौरान उसे कोविड–19 संक्रमण से पोजिटीव पाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पत्र संख्या **9657**, दिनांक **26.03.2020** के द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में Containment zone निर्धारित कर कार्रवाई करने हेतु विस्तृत निदेश दिए गए हैं। उक्त के आलोक में निम्नांकित आदेश दिये जाते हैं:–

1. **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बसंतपुर** के प्रतिवेदन के अनुसार **ग्राम–नगरी टोला बसॉव, पंचायत–बसॉव** के **उत्तर में** ग्राम–भिट्ठी, पंचायत–भिट्ठी **दक्षिण में** ग्राम–बॉकाजीवा, पंचायत–महमदा प्रखण्ड–भगवानपुर हाट, **पूरब में** ग्राम–हुसेपुरनन्द, पंचायत–सरेया श्रीकान्त **पश्चिम में** ग्राम–मंझरिया पंचायत–आज्ञा जो तीन किलोमीटर की परिधि में अवस्थित है, को Containment zone घोषित किया जाता है।

1.1 Containment zone में केवल आवश्यक गतिविधियाँ यथा–पी0डी0एस0/सरकारी कार्यालय/बैंक/पोस्ट ऑफिस/सी0एस0सी0 आदि खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए, सख्त घेराबंदी की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोनों में गहन कॉनटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, हर घर की निगरानी की जाएगी, और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किए जायेंगे।

1.2 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर को निदेशित किया जाता है कि कंडिका 1 में अंकित पंचायतों के, जो Containment zone के अंतर्गत निर्धारित की गई है, समस्त अवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड मेम्बर के सहयोग से बांस–बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक कर देंगे और साथ ही आवागमन को अवरूद्ध कर देंगे। कंटेनमेंट जोन में कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा तथा ऐसी भीड़–भाड़ वाली जगहों पर सख्त निगरानी की जाएगी। साथ हीं इन मार्गों पर सतत् निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक, सिवान के स्तर से चौकीदारों/गश्ती दलों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

- **ग्राम–नगरी टोला बसॉव, पंचायत–बसॉव** के **उत्तर में** ग्राम–भिट्ठी, पंचायत–भिट्ठी **दक्षिण में** ग्राम–बॉकाजीवा, पंचायत–महमदा प्रखण्ड–भगवानपुर हाट, **पूरब में** ग्राम–हुसेपुरनन्द, पंचायत–सरेया श्रीकान्त **पश्चिम में** ग्राम–मंझरिया पंचायत–आज्ञा के

संम्पूर्ण क्षेत्र को सील किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवागमन को पूरी तरह से अवरूद्ध करने के लिए अन्य मार्गो को भी सील किया जायेगा।

1.3 यदि किसी व्यक्ति द्वारा Containment zone से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से Containment zone के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को अविलम्ब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बसंतपुर** एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज इसे सुनिश्चित करायेंगे।

1.4 Containment zone के पूरे क्षेत्र को सैनेटाईज/Disinfect किया जाना है। इसका दायित्व जिला वैक्टर बोर्न पदाधिकारी, **श्री एम0 आर0 रंजन** को दिया जाता है जो Containment zone में निम्नांकित के अनुरूप कार्रवाई करेंगे:–

- मलेरिया/कालाजार के छिडकाव कर्मी का उपयोग करेंगे।
- छिड़काव कर्मी/घोल बनाने वाले कर्मी दस्ताने एवं प्लास्टिक का एप्रन पहनेंगे।
- किसी प्लास्टिक की बाल्टी में एक लीटर पानी लेंगे। प्लास्टिक के मग में 3 छोटा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ा पानी लेकर गाढ़ा पेस्ट बनायेंगे।
- इस पेस्ट को उक्त पानी की बाल्टी (प्लास्टिक) में मिलाकर घोल तैयार करेंगे।
- इससे अधिक मात्रा में घोल तैयार करने के लिए इसी अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर एवं पानी लेंगे।
- Containment Zone में इस घोल का नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

सैनेटाईज/Disinfect गतिविधियों को अनुश्रवण संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे। जिला स्तर पर इस पूरी गतिविधि का अनुश्रवण जिला वैक्टर बोर्न पदाधिकारी **श्री एम0 आर0 रंजन** के द्वारा किया जाएगा।

1.5 Containment zone के भीतर सभी परिवारों की गहन निगरानी (Active Surveillance) की जाएगी। इसका दायित्व **उप विकास आयुक्त, सिवान** को दिया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकर्त्ता/पंचायत प्रतिनिधि/आशा कार्यकर्ता आदि के दलों का निर्माण कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जांच विहित प्रपत्र में करायेंगे और संबंधित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को सूचना उपलब्ध करवायेंगे।

1.6 Containment zone के भीतर की सभी निजी दुकाने बंद होने के कारण आवश्यक वस्तुओं का वितरण पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा डोर–टू–डोर वितरण किया जाएगा। **अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान महाराजगंज** को निदेशित किया जाता है कि डीलर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पैकेटिंग एवं आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे और संबंधित मार्केटिंग पदाधिकारी को इस कार्य का नियमित अनुश्रवण करने हेतु अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे।

2. Containment zone की परीधि की सीमा समाप्त होने से अगले 07 कि0मी0 की परिधि को buffer Zone घोषित किया जाता है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर** को निदेश दिया जाता है कि वे buffer Zone के सभी पंचायतों में पड़ने वाले सभी ग्रामों में तकलीफ/लक्षण वाले रोगियों की सूचना प्रतिदिन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। **सिविल सर्जन, सीवान** को

निदेशित किया जाता है कि buffer Zone में पडने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थान सरकारी/निजी सहित एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों को सूचीबद्ध करते हुए **बुखार/खांसी/सांस लेने में तकलीफ** वाले रोगियों की सूचना नियमित रूप से प्राप्त करेंगे एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगें।

2.1 **सिविल सर्जन, सिवान** को निदेशित किया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को **उप विकास आयुक्त, सीवान** के निर्देशानुसार जिले के निर्धारित किये गये कोरोन्टीन सेन्टर में रखवायेगें एवं उनकी नियमित जांच करायेंगे। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर** संक्रमित व्यक्ति के आवास को व्यक्तिगत निगरानी में सैनिटाईज/संक्रमणमुक्त करवाने की कार्रवाई करेंगे।

उपर्युक्त आदेश में अंकित समस्त कार्यों को सुनिश्चित कराने हेतु **श्री क्रिसलय श्रीवास्तव, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज 7376523400** को प्राधिकृत किया जाता है। उनके सहयोग के लिए **श्री सूर्य कुमार राम, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बसंतपुर– 9199796806** एवं **श्री अरविन्द कु0 उपाध्याय, प्रखण्ड कृषि समन्वयक, बसंतपुर–9006606609** की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
सिवान

ज्ञापांक ....1585..../सी0, सिवान, दिनांक ....05....वीं जून, 2020 ई0

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ

प्रतिलिपि– आयुक्त, सारण प्रमण्डल छपरा/उप महानिरीक्षक, सारण छपरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ अनुरोध है कि सिवान जिले की Containment Zone की पंचायतों में निषिद्ध किए गए मार्गों पर चौकीदारों/गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति कर सतत् निगरानी करावाने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त, सिवान/सिविल सर्जन, सिवान/जिला मलेरिया पदाधिकारी, सीवान/सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर/महाराजगंज एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सिवान सदर/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री क्रिसलय श्रीवास्तव, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज/श्री सूर्य कुमार राम, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बसंतपुर एवं श्री अरविन्द कु0 उपाध्याय, प्रखण्ड कृषि समन्वयक, बसंतपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेश से सम्पूर्ण प्रिंट मिडिया/इलेक्ट्रानिक मिडिया को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर/भगवानपुर हाट को अविलम्ब कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/2020

जिला पदाधिकारी,
सिवान